निर्णय बाईजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या : 66/19
दायरा दिनांक: 28.06.2019

उनवान

1. शांति बाई पत्नि छीतरलाल जाति भीणा निवासी थामली तहसील बारां।

– वादीगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र बिशनलाल जाति भीणा निवासी थामली तहसील बारां।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां।

– प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,92 RTAct

उपस्थित :–

1. श्री राजेन्द्र कुमार सुमन एड.– वादी
2. श्री निर्भय सिंह चौहा एड0– प्रतिवादी
3. श्री जितेश शर्मा एड0 – प्रतिवादी

::: निर्णय :::

दिनांक : 22.03.21

वादिया की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम राजपुरा तहसील बारां में आराजी ख.नं. 33 रकबा 3.72 है0 राजस्व रेकॉर्ड मे वादिया के खाते दर्ज है जो वादिया को ससुर किशनलाल के जर्ये रजिस्टर्ड दान पत्र प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार ग्राम राजपुरा तहसील बारां में आराजी ख.नं. 31 रकबा 3.84 है0 राजस्व रेकॉर्ड में प्रतिवादी के खाते दर्ज है जो प्रतिवादी को अपने पिता बिशनलाल से प्राप्त हुई। वादिया के ससुर किशनलाल व प्रतिवादी के पिता बिशनलाल सगे भाई है। उक्त आराजी वादिया व प्रतिवादी कम 1 को किशनलाल एवं बिशनलाल से प्राप्त हुयी है किन्तु संवत् 2026–28 की जमाबंदी मे इन्द्राज करते समय वादिया के कब्जेकाश्त की आराजी ख.नं. 31 रकबा 3.84 है0 संवहन से राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी के खाते दर्ज हो गयी एवं इसी प्रकार प्रतिवादी के कब्जेकाश्त की आराजी ख.नं. 33 रकबा 3.72 है0 राजस्व रिकार्ड मे वादिया के खाते दर्ज हो गयी। वादिया द्वारा राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्तीकरण करवाकर कब्जे अनुसार आराजी ख.नं. 31 रकबा 3.84 है. को अपने नाम दर्ज करवाने एवं आराजी ख.नं. 33 रकबा 3.72 है0 को प्रतिवादी के खाते दर्ज करवाने हेतु दावा पेश किया। उक्त आराजीयात को वादी एवं प्रतिवादी के कब्जेकाश्त अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया गया ताकि भविष्य मे किसी प्रकार का विवाद पैदा न हो।

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned by CamScanner

वादिया द्वारा वाद स्वीकार किया जाकर बहक वादिया खिलाफ प्रतिवादी कम सं. 1 ता 2 उक्त आराजीयात को वादी एवं प्रतिवादी के कब्जेकाश्त अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने एवं पृथक से लगान निर्धारित की जाकर राजस्व रिकार्ड मे अंकन करवाने की डिक्री फरमाने हेतु वाद पेश किया है।

उक्त आशय का वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी की गई। प्रतिवादी ने जर्ये अभिभाषक इकवाली जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रतिवादी को वाद पत्र के मद नं. 1 ता 6 स्वीकार है। मद नं. 7 ता 9 कानूनी है। प्रार्थना वादिया स्वीकार है।

प्रतिवादी कम 2 तहसीलदार, बारां द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार ग्राम राजपुरा तहसील बारां में आराजी ख.नं. 33 रकबा 3.72 है0 एवं आराजी ख.नं. 31 रकबा 3.84 है0 का मौका देखा गया। मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी आराजी ख.नं. 33 रकबा 3.72 है0 किस्म माल 2 खातेदार शांतिबाई पत्नी छीतरलाल जाता मीणा निवासी थामली रहन एसबीबीजे दर्ज है। आराजी ख.नं. 31 रकबा 3.84 है0 है0 किस्म माल 2 खातेदार बाबूलाल पुत्र बिशनलाल जाति मीणा निवासी थामली रहन सिंड्रिकेंट बैंक दर्ज है। मौके पर शांतिबाई आराजी ख.नं. 31 रकबा 3.84 है0 पर एवं बाबूलाल आराजी ख.नं. 33 रकबा 3.72 है0 पर काबिज काश्त है। दोनो खातेदार सहमत है तथा विनिमय करने मे रकबे मे आ रहे अंतर 0.12 है0 की राजकीय शुल्क जमा करने को भी तैयार है।

उक्त इकबालिया जवाब दावे के साथ प्रतिवादी द्वारा काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जो निम्न प्रकार है– ग्राम राजपुरा तहसील बारां में वादिया के कब्जे काश्त की आराजी ख. आराजी ख.नं. 31 रकबा 3.84 है0 को प्रतिवादी के राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर वादिया के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने मे प्रतिवादी 1 को कोई आपत्ति नही है। इसी प्रकार वादिया की खातेदारी आराजियात आराजी ख.नं. 33 रकबा 3.72 है0 को राजस्व रिकार्ड मे हटाया जाकर प्रतिवादी उत्तरदाता के नाम दर्ज की जावें। वादी एवं प्रतिवादी 1 इसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त है तथा इसी अनुसार उक्त आराजीयात को अपने–अपने कब्जे अनुसार भू–सुधार एवं उपयोगी किया हुआ है। उक्त आराजीयात को वादी एवं प्रतिवादी के कब्जेकाश्त अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने मे प्रतिवादी 1 को कोई आपत्ति नही है। वादिया का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर आराजी ख.नं. 33 रकबा 3.72 है0 जो वर्तमान मे राजस्व रिकार्ड मे वादिया के नाम दर्ज है, को प्रतिवादी के खाते दर्ज की जावें।

प्रतिवादी द्वारा वाद पत्र को स्वीकार करने पर सबूत वादी में वादिया शांतिबाई एवं प्रतिवादी कम 1 बाबूलाल द्वारा मुख्य परीक्षण शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। वादिया द्वारा वाद पत्र के तथ्यों को पुनः दोहराया एवं प्रतिवादी द्वारा काउन्टर क्लेम के तथ्यों को दोहराया। शपथ पत्र शा.पत्रावली किये गये।

तत्पश्चात् उभय पक्षों द्वारा जर्ये अभिभाषक आराजी ख.नं. 33 रकबा 3.72 है0 एवं आराजी ख.नं. 31 रकबा 3.84 है0 को आदान–प्रदान (एक्सचेंज) करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त वाद पत्र मे प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर उक्त आराजीयात को वादी एवं प्रतिवादी के कब्जेकाश्त अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने का कथन किया।

हमने बहस उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी। विद्वान वकील वादी ने वाद पत्र के चरणों को दोराने बहस दोहराया और कथन किया कि वादिया द्वारा राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्तीकरण करवाकर कब्जे अनुसार आराजी ख.नं. 31 रकबा 3.84 है. को अपने नाम दर्ज

उप ... अधिकारी
बारॉ

Scanned by CamScanner

करवाया जावें इसी प्रकार वकील प्रतिवादी द्वारा आराजी ख.नं. 33 रकबा 3.72 है0 को प्रतिवादी के खाते दर्ज करवाने करवाये जाने का कथन किया। वादी व प्रतिवादी अपने–अपने कब्जे काष्त अनुसार खाते से अपना नाम एक्सचेंज कराने को तैयार है। प्रतिवादी ने इकवाली जवाब पेष कर इसे स्वीकार किया है। जवाब में वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस मे वादी के वकील का ही समर्थन किया और कथन किया कि खाता अदला–बदली करने में प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही है।

हमने वकील फरीकेन की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया पत्रावली मे राजीनामे के आधार पर चाहा गया आदान–प्रदान हेतु तहसीलदार के समक्ष विधिवत् आवेदन प्रस्तुत करवाना ही न्यायोचित होगा।

अतः वाद पत्र व प्रतिदावा अस्वीकार कर खारिज किए जाते है। उभय पक्षकारान् भूमि के सहमति से चाहे गये आदान–प्रदान के सम्बंध मे सक्षम न्यायालय मे चाराजोही कर वांछित अनुतोष प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2021 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गयज्ञं

(दिवांशु शर्मा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी बारां